न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 54/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–कालु पिता गोमा कुमावत नि0 खुंटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–बालु पिता उदयराम कुमावत नि0 खुंटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–सुरेश पिता नोलाराम कुमावत नि0 खुंटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–रामा पिता मगना कुमावत नि0 खुंटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 15.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नारायणखेड़ा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम खुंटिया का खेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 97 रकबा 0.20 हे0, 98 रकबा 1.33 हे0, 108 रकबा 0.26 हे0, 109 रकबा 0.37 हे0, कुल किता 04 कुल रकबा 2.16 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 4 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरम्यान पक्षकारान् आपस मे बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत तीन प्रार्थी की उक्त उक्त आराजियात के चारो तरफ के पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 27.03.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 उपस्थित है तथा पत्थरगढी कराने मे कोई आपति जाहिर नही की है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम खुंटिया का खेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 97 रकबा 0.20 हे0, 98 रकबा 1.33 हे0, 108 रकबा 0.26 हे0, 109 रकबा 0.37 हे0, कुल किता 04 कुल रकबा 2.16 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 4 पर स्थित है। उक्त आराजी

की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा